भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2304
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य और पोषण संबंधी योजनाएँ

†2304. डॉ. जयंत कुमार रायः
श्री तापिर गावः
श्री सौमित्र खानः
श्री बंटी विवेक साहूः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में, विशेषकर जनजाति बहुल जिलों में, विशेषकर छिंदवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के राढ़ बंगाल क्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित कार्यान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हालिया सरकारी आंकड़ों से देश की जनजातीय आबादी में रक्ताल्पता, कुपोषण की व्यापकता और मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में कोई सुधार या परिवर्तन दिखाई देता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और विशेषकर पश्चिम बंगाल के राढ़ बंगाल क्षेत्र में जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्षित हस्तक्षेपों, कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण और इस संबंध में अंतर-विभागीय समन्वय के तहत उच्च कुपोषण वाले जनजाति बहुल जिलों के लिए प्रस्तावित या कार्यान्वित की जा रही योजनाबद्ध सुधारात्मक कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के सभी जनजाति बहुल जिलों सहित पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के राढ़ बंगाल क्षेत्र सहित देशभर में कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) का संचालन, मुफ्त दवा सेवा पहल, मुफ्त निदान सेवा पहल, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिटें, आशाकर्मी,

24x7 सेवाएं और प्राथमिक रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, टीबी मुक्त भारत अभियान और सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति को लागू कर रहा है, जिसमें पूरे देश में, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के सभी जनजाति बहुल जिलों सहित, कैलोरी की कमी और प्रोटीन कुपोषण सहित अल्पपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उससे निपटने के लिए कार्यकलाप शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- **सुविधा आधारित नवजात शिशु देखभाल:** बीमार और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए जिला महाविद्यालय और जिला अस्पताल में नवजात शिशु गहन परिचर्या इकाइयाँ (एनआईसीयू)/विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयाँ (एसएनसीयू) स्थापित की गई हैं, और प्राथमिक रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) स्थापित की गई हैं।
- जन्म के समय कम वजन वाले/समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए **कंगारू मदर केयर (केएमसी)** को स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्तर पर लागू किया जाता है। इसमें मां या परिवार के सदस्य के साथ शुरुआती और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क और विशेष रूप से बार-बार स्तनपान कराना शामिल है।
- **माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए):** माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) के तहत शुरुआती छह महीनों के लिए शीघ्र स्तनपान और केवल स्तनपान तथा नवजात एवं शिशु आहार (आईवाईसीएफ) की उचित पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है।
- **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और चिकित्सा संबंधी जटिलताओं से ग्रस्त बच्चों को उपचार के लिए भर्ती किया जाता है।
- नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों और विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे, जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के आहार के लिए मां के अपने दूध या सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **स्तनपान प्रबंधन केंद्र** स्थापित किए जाते हैं।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)** को छह लाभार्थी समूहों - 6-59 महीने के बच्चों, 5-9 वर्ष के बच्चों, 10-19 वर्ष के किशोरों, 15-49 वर्ष की प्रजनन आयु की महिलाओं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए जीवनचक्र दृष्टिकोण के तहत लागू किया गया है।
- राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस (एनडीडी)
- विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रम

- गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह आधारित बाल परिचर्या (एचबीवाईसी) कार्यक्रम
- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)

मिशन पोषण 2.0 के तहत, सरकार मातृ पोषण, नवजात एवं शिशु पोषण मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि दुर्बलता, बौनापन, एनीमिया और कम वज़न की समस्या को कम किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पोषण मानकों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित है और गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है।

जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में विभिन्न तंत्र और सर्वेक्षण एजेंसियां समय-समय पर आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) देश भर के सभी अधिक भार वाले जनजातीय जिलों में एनीमिया, कुपोषण और मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का विवरण प्रदान करता है। भारत की जनगणना जनजातीय क्षेत्रों सहित जनसंख्या और परिवारों का विवरण प्रदान करती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर घरेलू सर्वेक्षण प्रदान करता है। एनएफएचएस-5 के प्रमुख संकेतकों की राज्यवार सूची नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है:

http://rchiips.org/nfhs/districtfactsheet_NFHS-5.shtml

कुपोषण से निपटने के लिए जनजातीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने, वित्तपोषण करने और उन्हें लागू करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ राज्य के स्वास्थ्य विभागों के बीच समन्वय तंत्र मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख के रूप में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

*****